"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016 — माघ 16, शक 1937

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-12/56/2014/इ.सू.प्रौ.— "छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19" (इसके बाद "नीति" के रूप में संदर्भित) के खंड 12.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, नीति अंतर्गत पात्र इकाईयों को लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के लिए एकल खिड़की समाशोधन के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणाली लागू करता है :-

1. परिभाषाएं -

(1) इन दिशा-निर्देशों में, जब तक अन्यथा आवश्यक न हो परिभाषा वही लागू होगी जो नीति में दी गई है. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिभाषाएं उसकी अनुपूरक होगी-

(क) **"सैद्धांतिक स्वीकृति"** से आशय है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा समस्त कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के पूर्व प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करना. इससे हितग्राही को अनुमोदन/स्वीकृतियां सहज एवं सरलता से प्राप्त होती हैं. हालांकि सैद्धांतिक अनुमोदन को किसी भी तरह से अंतिम अनुमोदन नहीं माना जा सकता और इसलिए उनका विधि के नियमों के अनुसार उचित सत्यापन किया जाएगा।

(ख) **"आईटी/आईटीईएस से संबंधित उद्योग"** से आशय और इसमें सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, आईटी आधारित सॉफ्टवेयर विकास, सू.प्रौ. तथा सू.प्रौ. समर्थित सेवाएं या वेब समर्थित सेवाएं या दूरस्थ सेवा डाटा केन्द्र/जीआईएस आधारित सेवाएं/ईआरपी (उद्यम संसाधन नियोजन)/ज्ञान प्रबंधन और संग्रह/बीपीओ/मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन/नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग/लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, SMAC (सामाजिक, मोबाइल, विश्लेषिकी और क्लाउड) और एनीमेशन, गेमिंग/विजुअल इफेक्ट/डिजिटल मनोरंजन और आईटी इंजीनियरिंग सेवा कंपनी/इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन के रूप में टेली वर्किंग।

(ग) **"आईटी प्रोफेशनल"** से आशय है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणालियों के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव और आईटी समर्थित सेवाओं में शामिल पेशेवर।

(घ) **"आईटी हार्डवेयर"** में कंप्यूटर, (टेबलेट, डेस्कटॉप आदि) सर्वर, प्रिंटर, फैक्स, भंडारण उपकरण, बाह्य उपकरण तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परिभाषित उपकरण शामिल हैं।

(ड.) **"आईटी अधोसंरचना"** से आशय है, भारत सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आईटी पार्क और आईटी एसईजेड का विकास करना आदि।

(च) **"आईटी अधोसंरचना विकासकर्त्ता"** से आशय हैं, ऐसे विकासकर्त्ता जिन्हें विगत 5 वर्षों में 3 लाख वर्ग फुट से अधिक बिल्ट–अप क्षेत्र में आईटी अधोसंरचना विकास का अनुभव हो या जिन्होंने आईटी अधोसंरचना क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया हो।

(छ) **"एमएसएमई इकाई"** से आशय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत इकाई।

उपरोक्त परिभाषाएं सामान्य प्रकृति की हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आवश्यकतानुसार इसमें कुछ जोड़ने/संशोधन/ परिवर्तन या व्याख्या करने का अधिकार है।

2. प्रभावी अवधि–

यह दिशा–निर्देश 1 नवंबर, 2014 से प्रभावी होकर 31 अक्तूबर, 2019 तक प्रभावी रहेंगे।

3. पात्रता–

3.1 उक्त नीति के अंतर्गत इकाईयां/उद्यम निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र होंगे–

3.1.1 यदि इकाई/उद्यम परिचालन उपरोक्त अधिसूचना के खंड 1 में परिभाषित इकाइयों में से एक है।

3.1.2 निवेश नीति की अवधि के काल में इकाई की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में निवेश किया जाता है।

3.1.3 वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन प्रारंभ नीति की प्रभावी अवधि में किया जाता है।

4. सामान्य शर्तें–

4.1 इकाईयों/उद्यमों को नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का निर्वाह करना होगा–

4.1.1 राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति।

4.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य समान प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–ए/ पार्ट–बी।

4.2 इकाईयों को भूमि के आवंटन की तारीख से 2 वर्ष में उत्पादन/ संचालन प्रारंभ करना होगा।

4.3 इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सतत् संचालन सुनिश्चित करना होगा।

4.4 निवेशक को निम्नानुसार परियोजना/ निवेश की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा–

4.4.1 वाणिज्यिक उत्पादन से पहले त्रैमासिक रिपोर्ट।

4.4.2 वाणिज्यिक उत्पादन के बाद वार्षिक रिपोर्ट।

5. उक्त नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/ छूट–

श्रेणी	प्रोत्साहन/अनुदान/ छूट
प्रोत्साहन	
मानक	• भूमि प्रीमियम पर छूट (केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिसूचित क्षेत्र में लागू) • स्टाम्प शुल्क से छूट • पट्टे/किराये की जगह पर छूट • सीएसटी और प्रवेश शुल्क से छूट • विद्युत शुल्क से छूट • स्थाई पूंजी निवेश अनुदान • ब्याज अनुदान • परियोजना प्रतिवेदन के लिए प्रोत्साहन • आईटी पेशेवरों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए सहायता • इकाई/उपक्रम के कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर अनुदान • वैट (Value Added Tax) की छूट
अतिरिक्त प्रोत्साहन	
स्थानीय रोजगार और शीघ्र निवेश के लिए	• राज्य में स्थापित इकाईयां, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे, स्थायी पूंजी निवेश और ब्याज अनुदान पर इन प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त, और अधिक 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगी। • 31–03–2016 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करनेवाली इकाईयां स्थायी पूंजी निवेश और ब्याज अनुदान पर इन प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त, और अधिक 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए	• गुणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन • तकनीकी पेटेंट के लिए प्रोत्साहन • बैंडविड्थ शुल्क पर अनुदान
बड़े निवेशकों	• नीति की अवधि में रुपये 100 करोड़ से अधिक का निवेश करनेवाले उद्यमियों

के लिए	को प्रकरणवार आधार पर विशेष पैकेज के रूप में नीति में दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर विचार किया जायेगा। • विगत 5 वर्ष में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र से अधिक पर आईटी अधोसंरचना के विकास का अनुभव रखने वाले आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जिन्होंने रुपये 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया हो, के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर नीति में दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा सकता है।

6. *एकल खिड़की निवेश समाशोधन प्रणाली (Single Window Investment Clearance System) के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए परिचालन/कार्यान्वयन के दिशा–निर्देश।*

6.1 एकल खिड़की समाशोधन प्रणाली में इकाई/उद्यम की स्थापना के लिए समय पर सैद्धांतिक स्वीकृति एवं नीति के अंतर्गत सहायता/प्रोत्साहन/अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति आदि की स्वीकृतियां प्रदान करने की सुविधा निवेशकों को दी जायेगी।

6.2 चिप्स एकल खिड़की समाशोधन प्रणाली के अंतर्गत सिंगल विंडो निवेश पोर्टल (SWIP) विकसित करेगी। यह पोर्टल नीति के अंतर्गत निवेशकों से प्रस्ताव/ आवेदन प्राप्त करने और इकाईयों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुमोदन/ अनुदान/ छूट प्रोत्साहन आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक मंच होगा। सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि निवेश के लिए आवेदन प्राप्त किया जा सके और संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा दिए गए सभी अनुमोदन/स्वीकृति/ अस्वीकृति पत्र इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जा सकें। निवेशकों को इस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करने में सहायता भी मिलेगी।

6.3 संबंधित विभाग/एजेंसियां इस नीति के अंतर्गत निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

6.4 निवेश के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक साझा आवेदन फॉर्म (सीएएफ) निर्धारित किया गया है **(परिशिष्ट "अ")**, जिस पर निवेशक सिंगल विंडो निवेश पोर्टल के माध्यम से निवेश प्रस्ताव जमा करेंगे।

6.5 प्रत्येक निवेश प्रस्ताव को सिंगल विंडो निवेश पोर्टल में पंजीकरण पर एक विशिष्ट ID (IUID) दी जाएगी। निवेशक इस आई डी की मदद से विभाग चिप्स से संवाद कर सकता है और अपने प्रस्ताव की स्थिति ज्ञात कर सकता है।

6.6 निवेशक, प्रत्येक निवेश प्रस्ताव के लिए निम्नानुसार निर्धारित अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस के ऑनलाइन भुगतान के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निवेश आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करेगा–

क्रमांक	परियोजना लागत	प्रोसेसिंग फीस की राशि
1	रु. 5 करोड़ तक	रु. 10,000/–
2	रु. 5 करोड़ से अधिक रु. 25 करोड़ तक	रु. 50,000/–
3	रु. 25 करोड़ से अधिक रु. 100 करोड़ तक	रु. 3,00,000/–
4	रु. 100 करोड़ से अधिक रु. 500 करोड़ तक	रु. 5,00,000/–
5	रु. 500 करोड़ से अधिक रु. 1000 करोड़ तक	रु. 15,00,000/–
6	रु. 1000 करोड़ से अधिक	रु. 25,00,000/–

6.7 एकल खिड़की का नोडल अधिकारी निवेशक से प्राप्त आवेदन पत्र अपनी टिप्पणी के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को भेजेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स प्रस्ताव उनकी राय के लिए अन्य संबंधित विभागों को भेजेगें या निवेशक से अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं। तद्नुसार नोडल अधिकारी, एकल खिड़की निवेश के प्रस्ताव को सिंगल विंडो निवेश पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग या निवेशकों को भेजेगा।

6.8 एकल खिड़की से प्राप्त निवेशक के आवेदन पत्र को विभाग का सक्षम प्राधिकारी जांच करेगा और विधिवत निर्दिष्ट कारणों के साथ, यदि कोई हो तो, सहमति/असहमति के साथ विचार/राय प्रस्तुत करेगा।

6.9 एकल खिड़की का नोडल अधिकारी अन्य विभागों से प्राप्त राय के आधार पर निवेश के प्रस्ताव पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और निर्धारित समय सीमा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को प्रस्तुत करेगा।

6.10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स उच्चाधिकार प्राप्त समिति (EC) /राज्य स्तरीय एकल खिड़की समाशोधन समिति" (SLSWCC) की बैठक का आयोजन करने की कार्यवाही करेंगे। समिति निवेश प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगी।

6.11 उक्त समिति का निर्णय अंतिम और सभी विभागों के लिए बाध्यकारी होगा। संयुक्त सचिव/उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निवेशकों के प्रस्तावों पर सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी करेगा।

6.12 यदि निवेशक द्वारा बड़े निवेश का अनुरोध किया गया है तो समिति रुपये 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अतिरिक्त प्रोत्साहन/छूट की अनुशंसा करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य मंत्री–परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

6.13 निवेशक, सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी के साथ सिंगल विंडो निवेश पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/ अनुदान/ छूट के अनुमोदन एवं जारी करने के लिए आवेदन करेगा। निवेश प्रस्ताव पर संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी नियमित रूप से निवेशक के लिए प्रोत्साहन के समय पर जारी करने

के लिए पूरी प्रक्रिया करेंगे। निवेशक और नोडल अधिकारी बीच संपूर्ण संचार सिंगल विंडो निवेश पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

6.14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स नीति के अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति और प्रोत्साहन दिए जाने पर त्रैमासिक/वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उच्चाधिकार प्राप्त समिति (EC) /राज्य स्तरीय एकल खिड़की समाशोधन समिति'' (SLSWCC) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति समय–समय पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी।

6.15 नीति के अंतर्गत, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने में शामिल विभिन्न प्रक्रिया के लिए नीचे दी गई तालिका में वर्णित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा और उसकी प्रमुख सचिव/ सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाये।

6.16 सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निवेशक नीति के अंतर्गत भूमि के अंतिम आबंटन, अन्य अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण–पत्र/लाइसेंस एवं लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रपत्र में सिंगल विंडो इंवेस्टीमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेगा।

7. छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014–19 के अंतर्गत प्रोत्साहन/छूट/अनुदान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संचालन/कार्यान्वयन के दिशा–निर्देश और प्रक्रिया–

क्र.	प्रोत्साहन/ लाभ का नाम	प्रोत्साहन/ लाभ का विवरण	पात्रता /शर्तें/अपवाद	परिचालन दिशा–निर्देश
7.1	भूमि आवंटन	निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमि– **अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र–** राज्य में अधिसूचित सू. प्रौ. क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां भूमि प्रीमियम के 80 प्रतिशत तक की छूट के लिए पात्र होंगी।	(i) इकाईयों/उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन ऊपर खंड 1 में परिभाषित अनुसार। (ii) ऐसी इकाइयों के लिए भूमि प्रति यूनिट परियोजना निवेश के आधार पर नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार आबंटित की जा सकती है– तलिका 1.1 **क्र** | **निवेश राशि/ इकाई रु. करोड़ में** | **उपलब्ध भू–क्षेत्र**	1. उपरोक्त (खंड 6 में) वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हाने पर आवेदक को नोडल एजेंसी/चिप्स में निम्नलिखित जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप में भूमि के अंतिम आवंटन के लिए आवेदन करना होगा– 2. भूमि आवंटन के लिए सहमति/ सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र, भूमि प्रीमियम के भुगतान का प्रमाण।

			1.	1 से 3	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 1 एकड़	3. आईटी अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि प्रीमियम पर छूट का लाभ उठाने के लिए तालिका का बिंदु (7.2) देखें। आईटी अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर भूमि प्रीमियम पर कोई छूट नहीं है। 4. नोडल एजेंसी / चिप्स भूमि आवंटन करने के लिए संबंधित तथ्यों की सच्चाई के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यक हुआ तो कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकती है। 5. नोडल एजेंसी / चिप्स भूमि प्रीमियम पर छूट के लिए अपनी अनुशंसा स्वीकृति पत्र के साथ भूमि आवंटन प्राधिकारी को आवेदन भेजेगा। 6. भूमि आवंटन प्राधिकारी पात्र इकाई / उद्यम के लिए भूमि आवंटन पर स्वीकृति पत्र जारी करेगा। 7. यदि आवश्यक हुआ तो गैर– अधिसूचित क्षेत्रों के लिए भू–व्यपवर्तन (लैंड डायवर्जन) नियमों के अनुसार भूमि प्रदान की जायेगी।
			2.	3 से 5	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 2 एकड़	
			3.	5 से 10	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 3 एकड़	
			4	10 से 20	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 5 एकड़	
			5	20 से 50	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 10 एकड़	
			6	50 से 100	आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 20 एकड़	
			7	100 से अधिक	प्रकरण अनुसार निर्णय होगा	
			(iii) इस नीति के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने वाली इकाई को भूमि आवंटन की तारीख से 2 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन प्रारंभ करना होगा। (iv) इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन प्रारंभ करने की तारीख से 3 वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादन /			

			संचालन सतत् करना होगा। (v) इकाई को कुल आवंटित भूमि के 60 प्रतिशत क्षेत्र को आईटी गतिविधि के संचालन हेतु आरक्षित करना होगा तथा शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र अन्य उद्देश्यों जैसे सहायक एंसीलरी एवं समर्थित सेवाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं।	
7.2	भूमि के प्रीमियम पर छूट	राज्य के अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इकाई की स्थापना पर, 80 प्रतिशत राशि भूमि प्रीमियम छूट के रूप में देय होगी।	1. केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित आईटी क्षेत्रों में स्थापित इकाईयां भूमि प्रीमियम पर छूट के लिए पात्र हैं। 2. इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाई भूमि के आवंटन की तारीख से 2 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन प्रारंभ सुनिश्चित करना होगा। 3. इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सतत संचालन सुनिश्चित करना होगा।	1. आवेदक ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से भूमि प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि का ऑनलाईन भुगतान निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को प्रस्तुत करेगा– भूमि आवंटन के लिए सहमति, भूमि लागत के 20 प्रतिशत के लिए भुगतान का प्रमाण। 2. उक्त स्वीकृत भूमि प्रीमियम पर छूट अर्थात्, भूमि प्रीमियम राशि की शेष राशि चिप्स / नोडल एजेंसी द्वारा भूमि आवंटन प्राधिकारी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
7.3	स्टॉम्प ड्यूटी में छूट	(i) 100 % स्टाम्प ड्यूटी में छूट– स्थापित इकाई को सीधे क्रय अथवा लीज़ पर आबंटित भूमि के लिये देय होगी। (ii) किसी अन्य	1 इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को, स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ उठाने की तारीख से 2 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन / परिचालन सुनिश्चित करना होगा।	1. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निवेश के लिए निम्नलिखित जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप में चिप्स को आवेदन करेगी– खरीदी / पट्टे पर ली जानेवाली विषयगत भूमि

		आईटी इकाई को नीति की अवधि में पहली बिक्री या पट्टे पर हस्तांतरित करने पर। (उक्त छूट अगली बिक्री पर उपलब्ध नहीं होगी)		का विवरण। 2. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सच्चाई के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 3. चिप्स अपनी अनुशंसाओं के साथ वाणिज्यिक कर विभाग को आवेदन अग्रेषित करेगी। 4. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए स्वीकृति पत्र वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
7.4	लीज / किराये पर छूट	स्थापित ऐसी इकाई, जिसका संचालन लीज / किराये के स्थान में हो रहा है, उन्हें लीज / किराये की दर में 50 प्रतिशत राशि, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 10 लाख प्रति वर्ष होगी, की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक की जावेगी।	1. इस उद्देश्य के लिए 3 वर्ष की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई तारीख से मानी जाएगी। 2. जिस इकाई / उद्यम ने पूर्व में भूमि प्रीमियम पर अनुदान प्राप्त किया हो या आवेदन प्रस्तुत किया हो, वह इकाई पट्टे / किराये की जगह पर छूट के लिए पात्र नहीं होगी।	1. नीति के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा– पंजीकृत लीज डीड / किराया समझौता, लेन–देन के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट, पट्टा राशि / किराया / भुगतान रसीद। 2. वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान के लिए आवेदन पत्र केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा। 3. नोडल एजेंसी / चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सच्चाई के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 4. चिप्स द्वारा नियुक्त एक टीम / नामित अधिकारी पट्टे / किराये की जगह के

				बारे में एक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 5. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चिप्स द्वारा स्वीकृति / अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 6. अनुदान की राशि हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी।
7.5	सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) / प्रवेश कर में छूट	स्थापित इकाई पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष तक या राज्य में GST लागू होने तक जो भी पहले हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) व प्रवेश कर के भुगतान से शत प्रतिशत छूट होगी।	1. इस उद्देश्य के लिए 10 वर्ष की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी।	1. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप में चिप्स में आवेदन करेगा– सभी कच्चे माल / उत्पादों की सूची जिनके लिए छूट का दावा किया जाएगा 2. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 3. चिप्स अपनी अनुशंसा के साथ वाणिज्यिक कर विभाग को आवेदन अग्रेषित करेगी। 4. सीएसटी और प्रवेश कर से छूट के लिए स्वीकृति पत्र वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
7.6	विद्युत शुल्क से छूट	राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के	1. इस उद्देश्य के लिए 12 वर्ष की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन	1. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप में चिप्स में

		दिनांक से 12 वर्ष तक स्वयं हेतु उपभुक्त विद्युत यूनिटों पर विद्युत शुल्क के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।	या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से मानी जाएगी। 2. विद्युत शुल्क से छूट केवल स्वयं के उपभोग के लिए बिजली के उपयोग पर प्रदान की जाएगी	आवेदन करेगा– 2. बिजली बिल और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के साथ समझौते की प्रतिलिपि। 3. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 4. चिप्स अपनी अनुशंसा के साथ मुख्य विद्युत निरीक्षक को आवेदन पत्र अग्रेषित करेगी। 5. विद्युत शुल्क से छूट के लिए स्वीकृति पत्र मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।
7.7	स्थाई पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन	इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत समतुल्य राशि, अधिकतम रूपये 150 लाख प्रति इकाई देय होगी। ***अतिरिक्त प्रोत्साहन*–** 1. राज्य में स्थापित इकाईयां जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे	1. इस तरह के दावों के लिए आवेदन केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से केवल 3 महिने के भीतर ही किया जा सकता है। 2. इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सतत् संचालन	1. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ–साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगी– स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी, परियोजना के लिए कुल पूंजीगत व्यय का विवरण, बैंक ऋण विवरण (यदि हो), कम्पनी का नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय

		प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। 2. दि. 31/03/16 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने वाली इकाईयां ऊपर दर्शाये प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।	सुनिश्चित करना होगा।	विवरण और फर्म का सीए द्वारा प्रमाणित स्थायी पूंजी निवेश पर कुल व्यय, क्रमशः सिविल कार्य/ संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण के लिए (सिविल/मैकेनिकल) चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी किए गए घटक वार मूल्यांकन प्रमाण पत्र, बिल/ चालान की प्रतियां, मूल निवासी के प्रमाण के साथ कर्मचारियों का विवरण (केवल अतिरिक्त प्रोत्साहन के दावे के लिए)। 2. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सच्चाई के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 3. चिप्स द्वारा नियुक्त एक टीम/ नामित अधिकारी निवेश एवं उत्पादन/ परिचालन के बारे में एक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 4. उपरोक्त तथ्यों के आधार स्वीकृति/ अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
7.8	ब्याज अनुदान	इकाई की स्थापना पर टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी पर प्रतिवर्ष भुगतान किये गये ब्याज	1. इस उद्देश्य के लिए केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था/ बैंक से प्राप्त कार्यशील पूंजी ऋण	1. वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज अनुदान के लिए आवेदन केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा।

		का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 110 लाख तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 8 वर्ष की अवधि तक देय होगा। **अतिरिक्त प्रोत्साहन–** 1. राज्य में स्थापित इकाइयां जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी छत्तीसगढ़ के अधिवासी होंगे ऊपर कहे प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। 2. 31–03–2016 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करनेवाली इकाइयां ऊपर कहे प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन	पर प्रोद्भूत ब्याज पर मान्य किया जाएगा। 2. इस उद्देश्य के लिए 8 वर्ष की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी। 3. उद्यमों / इकाईयों को वित्त पोषण संस्था / बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण पर देय किस्तों और ब्याज का नियमित पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, इकाईयां / उद्यम जो अनियमित हैं या चूककर्ता घोषित की जाती हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।	2. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा– वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा मंजूर की कार्यशील पूंजी ऋण के लिए स्वीकृति पत्र की प्रति, बैंक / वित्तीय संस्थान से मासिक ब्याज राशि का विवरण, मूल–निवासी के प्रमाण के साथ कर्मचारियों का विवरण (केवल अतिरिक्त प्रोत्साहन के दावे के लिए)। 3. चिप्स द्वारा दावों के तथ्यों की सच्चाई के बारे में आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक के सहयोग से की जाएगी। 4.उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकृति / अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक में इकाई / उद्यम के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

		के लिए पात्र होंगी।		
7.9	परियोजना रिपोर्ट के लिए प्रोत्साहन	स्थापित इकाई को प्रतिष्ठित, राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, परियोजना सलाहकारों से तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन हेतु वास्तविक व्यय राशि या निवेश की जाने वाली स्थायी पूंजी की 1 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 4 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी।	1. नीति की प्रभावी अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली सभी इकाईयां / उद्यम। 2. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई तारीख से मानी जाएगी।	1. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा– स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतिलिपि, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वाऊचर्स और भुगतान की प्रतिलिपि। 2. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकृति या अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 4. स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
7.10	भर्ती और प्रशिक्षण के लिए सहायता	स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से प्रथम 3 वर्ष की अवधि तक, संस्थान द्वारा आई. टी. प्रोफेशनल की भर्ती एवं प्रशिक्षण करने पर भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान रु. 20,000 / – प्रति आईटी पेशेवर के	1. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई तारीख से मानी जाएगी। 2. भर्ती एवं प्रशिक्षण सहायता केवल उन	1. एक वित्तीय वर्ष के लिए भर्ती और प्रशिक्षण के लिए सहायता के लिए आवेदन केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा। 2. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगी। निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रशिक्षण के विवरण के साथ भर्ती और प्रशिक्षित

		मान से अधिकतम रु. 10 लाख प्रतिवर्ष की सहायता देय होगी।	आईटी पेशेवरों को दी जाएगी जो ऊपर बिन्दु 1 (ग) में परिभाषित हैं। 3. इकाई के प्रशासनिक कर्मियों को ''आईटी प्रोफेशनल'' नहीं माना जाएगा। 4. आवेदक इकाई / उद्यम में कम से कम 6 महिने काम करने का अनुभव रखनेवाले आईटी प्रोफेशनल को दावे के लिए पात्र माना जाएगा।	आईटी पेशेवरों की सूची, उल्लिखित दावा अवधि के लिए ऊपर सूचीबद्ध सभी आईटी पेशेवरों की ईपीएफओ द्वारा जारी की गई पीएफ पर्ची, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और ऊपर सूचीबद्ध सभी आईटी पेशेवरों के नियुक्ति पत्र। 3. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकृति / अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. मंजूरी के बाद पात्र राशि हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
7.11	रोजगार सृजन हेतु ईपीएफ अनुदान	स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रारंभिक 7 वर्ष में संस्था द्वारा आई. टी प्रोफेशनल की नियुक्ति उपरांत जमा की गई ईपीएफ की राशि पर निम्नलिखित दरों के अनुसार सालाना अधिकतम 10.00 लाख रुपए प्रतिपूर्ति की जायेगी– (i) पुरुषों हेतु जमा की गई	1. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई तारीख से मानी जाएगी। 2. रोजगार सृजन हेतु ईपीएफ अनुदान केवल उन आईटी पेशेवरों के लिए दी जाएगी जो ऊपर बिन्दु 1 (ग) में परिभाषित हैं।	1. वित्तीय वर्ष में रोजगार सृजन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान के लिए आवेदन केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा। 2. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा– निर्धारित प्रारूप में इकाई में काम कर रहे आईटी पेशेवरों की सूची, उल्लिखित दावा अवधि के लिए ऊपर सूचीबद्ध सभी

		ईपीएफ की राशि का 75 प्रतिशत (ii) महिलाओं हेतु जमा की गई ईपीएफ की राशि का 100 प्रतिशत	3. इकाई के प्रशासनिक कर्मियों को "आईटी प्रोफेशनल" नहीं माना जाएगा। 4. आवेदक इकाई / उद्यम में कम से कम 6 महिने काम करने का अनुभव रखनेवाले आईटी प्रोफेशनल को दावे के लिए पात्र माना जाएगा।	आईटी पेशेवरों की ईपीएफओ द्वारा जारी की गई पीएफ पर्ची। 3. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकृति / अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
7.12	वेट (Value Added Tax) की 100 प्रतिशत छूट	राज्य में स्थापित इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक या राज्य में GST लागू होने तक, जो भी पहले हो, इकाई द्वारा उत्पादित सामग्री के राज्य के अंतर्गत विक्रय पर शासन को भुगतान किये गये वेट (Value Added Tax) की 100 प्रतिशत छूट प्रदाय की जायेगी।	1.इस उद्देश्य के लिए 5 वर्ष की अवधि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से मानी जायेगी। 2.इस छूट की कुल राशि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि तक किये गये स्थायी पूंजी निवेश की सीमा तक किया जायेगा। 3.वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए	1. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप में चिप्स में आवेदन करेगा– सभी उत्पादों की सूची जिनके लिए छूट का दावा किया जाएगा 2. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 3. चिप्स अपनी अनुशंसा के साथ वाणिज्यिक कर विभाग को आवेदन अग्रेषित करेगी। 4. वेट से छूट के लिए स्वीकृति पत्र वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

			औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी में दर्शाई गई तारीख से मानी जाएगी।	
7.13	गुणवत्ता प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन	स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाई द्वारा राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे– ISO-9000, ISO-14000 या आदि से गुणवत्ता प्रमाणन हेतु व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत अंश की राशि या अधिकतम रु. 7 लाख की प्रतिपूर्ति गुणवत्ता प्रमाणन प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। प्रतिवर्ष अधिकतम दो गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए ही प्रोत्साहन की पात्रता रहेगी।	1. केवल ऊपर खंड 1(छ) में परिभाषित छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तारीख, जो उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र में दर्शाई गई है, के पश्चात प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।	1. वित्तीय वर्ष के लिए गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन के लिए आवेदन केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा। 2. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा– वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र की प्रतियां, गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वाऊचर्स और भुगतानों की प्रतिलिपि 3. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चिप्स द्वारा स्वीकृति / अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
7.14	तकनीकी पेटेंट हेतु प्रोत्साहन	स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की इकाई द्वारा तकनीकी पेटेंट प्राप्त करने के	1. केवल ऊपर खंड 1(छ) में परिभाषित छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू	1. एक वित्तीय वर्ष के लिए तकनीकी पेटेंट प्रोत्साहन के लिए आवेदन केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा।

		लिये व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत समतुल्य की राशि अथवा अधिकतम रु. 10 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति तकनीकी पेंटेट प्रोत्साहन के रुप में देय होगी। प्रतिवर्ष अधिकतम दो तकनीकी पेटेंट के लिए ही प्रोत्साहन की पात्रता रहेगी।	होने तारीख, जो उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र में दर्शाई गई है, के पश्चात प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।	2. योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित जानकारी के साथ चिप्स को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा– पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स (CGPDTM) महानियंत्रक के समक्ष दायर किए गए तकनीकी पेटेंट की प्रतियां, तकनीकी पेटेंट प्राप्त करने के लिए किए गए बिलों और भुगतानों की प्रतिलिपि। 3. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चिप्स द्वारा स्वीकृति / अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
7.15	बैंडविड्थ चार्जेस हेतु अनुदान	स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई को इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गयी, इंटरनेट बैंडविड्थ सुविधा के लिये देय कुल प्रभार (चार्जेस) का 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति की	1. केवल ऊपर खंड 1(छ) में परिभाषित छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तारीख, जो उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र में दर्शाई गई है, के पश्चात प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। 2. आंतरिक उपयोग के	1. एक वित्तीय वर्ष के लिए बैंडविड्थ चार्जेस हेतु अनुदान के लिए आवेदन केवल अगले वर्ष की 1 अप्रैल से 30 जून के दौरान किया जायेगा। योजना के अंतर्गत पात्र इकाई / उद्यम निम्नलिखित प्रारुप में चिप्स को आवेदन करेगा– आईपी संख्या के साथ इकाई / उद्यम द्वारा इस्तेमाल के लिए कुल

		जावेगी।	लिए इस्तेमाल किए गए आईएसपी से इंटरनेट बैंडविड्थ पर इस अनुदान के लिए विचार किया जाएगा। 3. पट्टे/उप पट्टे/किराये पर देने के लिए इस्तेमाल किए गए आईएसपी से इंटरनेट बैंडविड्थ पर इस अनुदान के लिए विचार नहीं किया जाएगा।	बैंडविड्थ पर रिपोर्ट, बैंडविड्थ शुल्क के सभी बिलों और भुगतानों की प्रतिलिपि। 3. चिप्स दावे से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में आवेदनों की जांच करेगी और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगी। 4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चिप्स द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। 5. स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
7.16	अन्य अनुमोदन/स्वीकृतियां			सिंगल विंडो निवेश पोर्टल से परिभाषित अनुसार इकाईयों/ उद्यम की स्थापना के लिए किसी भी अन्य अनुमोदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीकरण/ लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा होगी।

8. यदि आवश्यक हो तो, प्रोत्साहनों की रिलीज और निगरानी के लिए कारोबार, निवेश, रोजगार और व्यापार के संचालन में निरंतरता पर प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता का सत्यापन वैधानिक अभिकरणों जैसे नोडल एजेंसी/चिप्स/संचालक उद्योग या राज्य सरकार की किसी भी अन्य उपयुक्त एजेंसी आदि से कराई जा सकती है।

8. उपरोक्त क्रियान्वयन मार्गदर्शिका नीति अंतर्गत उल्लेखित पात्र आईटी उद्योगों/ कंपनियों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों के प्रशासन हेतु नीति की वैध अवधि तक लागू होंगे।

10. वसूली—

10.1 यदि यह पाया गया कि किसी हितग्राही ने धोखाधड़ी या गलत घोषणा करके नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति/सहायता आदि प्राप्त की है, तो–

10.1.1 इस नीति के अधीन दी गई स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

10.1.2 प्रोत्साहन/अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति/सहायता आदि या अन्य के रूप में हितग्राही द्वारा प्राप्त किया गया ऐसा भुगतान 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाया के रूप में, प्रदान करने की तारीख से वसूल किया जाएगा।

10.2 बिंदु क्रमांक 10.1 में उल्लिखित हितग्राही इकाई/उद्यम भविष्य में नीति के अंतर्गत सहायता/ प्रोत्साहन/अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति आदि प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाएगा।

11. अपील–

निवेशक, निवेश के संबंध में इस नीति के अधीन चिप्स द्वारा जारी किसी भी आदेश/निर्णय के विरूद्ध आदेश जारी होने से 15 दिनों में प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष अपील कर सकता है। प्रमुख सचिव/ सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उक्त अपील के संदर्भ में कोई निर्णय लेने के पूर्व निवेशक का पक्ष सुने जाने का अवसर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के भाग के रूप में निवेश प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए समय सीमा प्रदान करना–

क्र.	**कार्य**	**उत्तरदायित्व**	**समय सीमा (कार्य वार)**	**संचयी समय सीमा**
12.1	सिंगल विंडो निवेश पोर्टल (SWIP) में निवेशक का पंजीकरण	निवेशक	1 दिन	प्रथम दिन
12.2	सिंगल विंडो निवेश पोर्टल में निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के समक्ष प्रस्तुत करना।	नोडल अधिकारी, एकल खिड़की	3 दिन	चौथा दिन
12.3	विभागीय निर्णय के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव अग्रेषण के बारे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा निर्णय लेना।	सीईओ, चिप्स	2 दिन	छटा दिन
12.4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की स्वीकृति पर संबंधित विभागों को आवेदन अग्रेषित करना	नोडल अधिकारी, एकल खिड़की	2 दिन	आठवां दिन
12.5	संबंधित विभाग से राय एकल खिड़की को भेजना	नोडल अधिकारी, संबंधित विभाग	7 दिन	पन्द्रहवां दिन
12.6	संबंधित विभागों से राय प्राप्त होने पर समेकित निवेश रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के समक्ष प्रस्तुत करना	नोडल अधिकारी, एकल खिड़की	3 दिन	अट्ठाहरवां दिन

12.7	राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति की बैठक के आयोजन के लिए प्रस्ताव भेजना	सीईओ, चिप्स	15 दिन	तैंतीसवां दिन
12.8	निवेशक को निवेश के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी करना	सीईओ, चिप्स	3 दिन	छत्तीसवां दिन

13 सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से एक इकाई की स्थापना के लिए विभिन्न स्वीकृतियां / क्लीयरेंस और प्रोत्साहन के लिए समय सीमा इस तालिका अनुसार होगी–

क्रं.	विवरण	कब आवेदन करें	सक्षम प्राधिकारी / विभाग	समय सीमा
13.1	सैद्धांतिक अनुमोदन	निवेशक को ID (IUID) मिलने के उपरान्त	इले. एवं सू.प्रौ. विभाग / चिप्स	30 दिन
13.2	**अनुमोदन / स्वीकृतियां**			
13.2.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा जारी अन्य समान प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) पार्ट–बी	वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त	भारत सरकार के एम एस एम ई मंत्रालय / राज्य शासन के संबंधित विभाग या औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार	5 दिन
13.2.2	भूमि का आवंटन	सैद्धांतिक अनुमोदन तथा EM-I /IEM भाग–क प्राप्त होने के 30 दिन में	नया रायपुर विकास प्राधिकरण / जिला उद्योग केन्द्र / राजस्व विभाग	30 दिन
13.2.3	प्लान ले–आऊट अनुमोदन	भूमि की आवंटन आदेश मिलने के उपरान्त	नया रायपुर विकास प्राधिकरण / नगर एवं ग्राम निवेश / सक्षम प्राधिकारी	30 दिन
13.2.4	भवन निर्माण अनुज्ञा	ले–आऊट स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त	नया रायपुर विकास प्राधिकरण / नगरीय / स्थानीय निकाय	30 दिन
13.2.5	स्थापना हेतु सहमति (CTE)	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व	चिप्स / सक्षम प्राधिकारी	60 दिन
13.2.6	संचालन हेतु सहमति	इकाई द्वारा वाणिज्यिक	चिप्स / सक्षम	60 दिन

	(CTO)	उत्पादन के पूर्व	प्राधिकारी	
13.2.7	आग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व	नगरीय / स्थानीय निकाय	7 दिन
13.2.8	वाणिज्यिक कर के अंतर्गत पंजीकरण	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व	वाणिज्यिक कर विभाग	2 दिन
13.2.9	श्रम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व	जिला श्रम अधिकारी	15 दिन
13.2.10	बिजली का कनेक्शन	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संबंधित अधिकारी	7 दिन
13.2.11	पानी का कनेक्शन	इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व	जल संसाधन विभाग / नगरीय निकाय	30 दिन
13.3	**प्रोत्साहन एवं अनुदान**			
13.3.1	भूमि के प्रीमियम पर छूट	सैद्धांतिक स्वीकृति के 30 दिनों में		20 दिन
13.3.2	स्टॉम्प ड्यूटी में छूट	सैद्धांतिक स्वीकृति के 30 दिनों में		30 दिन
13.3.3	लीज / किराये पर छूट	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के उपरान्त हर वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य		15 दिन
13.3.4	विद्युत शुल्क से छूट	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के 3 माह में		30 दिन
13.3.5	सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) / प्रवेश कर में छूट			30 दिन
13.3.6	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान			90 दिन
13.3.7	ब्याज अनुदान	वणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के उपरान्त 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य		45 दिन
13.3.8	परियोजना प्रतिवेदन पर प्रोत्साहन	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के 3 माह में		15 दिन
13.3.9	भर्ती एवं प्रशिक्षण सहायता	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के उपरान्त हर वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य		15 दिन
13.3.10	रोजगार सृजन हेतु ईपीएफ अनुदान			15 दिन
13.3.11	गुणवत्ता प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के उपरान्त हर वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य		15 दिन
13.3.12	तकनीकी पेटेंट हेतु प्रोत्साहन			15 दिन
13.3.13	बैंडविड्थ चार्जेस हेतु अनुदान			15 दिन

14. बिन्दू कमांक 13 एवं 14 में वर्णित समस्त समय–सीमा केवल समग्र रुप से पूर्ण प्राप्त आवेदनों हेतु होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, उप-सचिव.

Common Application Form for Investment under Electronics, IT, ITeS Investment Policy

Part A (Personal Details):							
1.	Unique ID						
2.	Name of the Company / Unit						
	Correspondence Address						
	Pin Code			Telephone No.			
	Fax No			Email			
	Mobile						
2.1	Name of the M.D/Managing Partner/CEO / Lead Promoter/ Proprietor						
	Telephone No.			Fax No			
	Email			Mobile			
	Category	☐SC ☐ST ☐Women ☐Ex-Serviceman ☐Physically Challenged ☐ Other					
2.2	Name of Authorized Coordinator/Person						
	Telephone No.			Fax No			
	Email			Mobile			
3.	Processing Fees						
	Amount						
	Date						
	Transaction /Receipt ID						
4	Nature of your Organization	☐	Proprietary	☐	Partnership	☐	Private Limited
		☐	Public Limited	☐	Co-Operative	☐	Others
5	Financial Indicators of the Company / Firm for Last 3 Years in Rs. Crores (if any)						

Year	Turn Over	Profit before Tax	Net Worth	Reserves & Surplus	Share Capital

6	Brief Description (Activities of the Company):-	

	Part B (Investment Details):			
7	**Category of the proposed project**			
7.1	**(Manufacturing Units):**			
7.1.1	Investment in Plant & Machinery	< 25 lakhs	Micro	☐
		More than 25 Lakhs < 5 Crore	Small	☐
		More than 5 Crore < 10 Crore	Medium	☐
		More than 10 Crore	Large	☐
7.1.2	Products to be Manufactured	1. 2. 3.		
7.2	**(Services Units):**			
7.2.1	Investment in Equipment	< 10 lakhs	Micro	☐
		More than 10 Lakhs <2 Crore	Small	☐
		More than 2 Crore <5 Crore	Medium	☐
		More than 5 Crore	Large	☐
7.2.2	Name of Services	1. 2. 3.		
	Note:- Please use either 7.1 or 7.2			

8	Investment		(Rs. in Crores)
	(A) Land		
	(B) Building		
	(C) Plant & Machinery/Equipment		
	(D) Working Capital Margin		
	(E) Other		
	Total (A+B+C+D+E)		
9	Borrowed Working Capital		
10	Means of Finance		(Rs. in Crores)
	(A) Promoter's Equity		
	(B) Foreign Equity		
	(C) Institutions Equity		
	(D) Bank Funding	Term Loan	
		Working Capital	
	(E) Others		
	(F) Seed Capital/Risk Capital		
	(G) Subsidy/Grants		
	Total (A+B+C+D+E+F+G)		

11	Employment	No of employees
	(A) Skilled	
	(B) Unskilled	
	(C) Supervisory	
	(D) Engineer	
	(E) IT/ITeS Professional	
	(F) Management	
	Total (A+B+C+D+E+F)	
12	Duration of Investment	
13	Expected date of commencement of commercial production (MM/YY):	

Part C (Requirements):

14	Proposed details of Land/Space:							
	☐	IT Notified Land	☐	CSIDC Land	☐	DI Land	☐	Rented Space
	☐	Own Land/Space	☐	Other				

	Details of Land	Details of Leased/Rented Space
	a) Land in Hectares:________________ b) Details of Plot: ________________ c) Location: ________________	a) Area in Sq. Meters: ________________ b) Details of Space:________________ c) Location: ________________

15	Mode of acquisition of Land		
	Land Agency	Mode of Acquisition	Extent (in Hectares)

16	Water Requirement:-
	i)Water requirement for project ____________________(MCM/Year) ii) Source of Water: ____________________
17	Power Requirement:
	(i)HT/LT Connection:________________ (ii) Required load: ________________ in KW/HP/MVA (iii) Date of Power Requirement: __________

18. DECLARATION

I, Shri/Smt ....S/o/W/o

Shri...

Aged...........Residence at...

(Designation)..of M/s...

having Regd. office

at...

hereby declare that the information furnished by me/us to CH*i*PS, Govt. of Chhattisgarh, by our firm/company in this Application Form for CH*i*PS are true to the best of my knowledge, belief and is based on the company/firm records. I/We indemnify the above agencies or any other agency under the jurisdiction of Govt. of Chhattisgarh from liabilities of any nature that may arise due to the decision taken based on the information contained in this application form which may be inadequate, inaccurate, erroneous etc. and the management of my firm/company assumes complete responsibility in this regard.

Further, our firm/company undertakes to provide any additional information or clarification as required by CHiPS, Govt. of Chhattisgarh or its agencies during and after processing of our application.

I/We undertake to pay the fees/charges payable to CHiPS, Govt. of Chhattisgarh and its agencies as prescribed under the policy for according approval and charges fixed for water, energy, etc. and other charges fixed by the Govt. of Chhattisgarh from time to time.

I/We understand that this approval through CHiPS is to assist our firm/company in getting statutory clearances expeditiously. I/We indemnify CHiPS, Govt. of Chhattisgarh and its agencies from any liabilities whatsoever.

Place...............

Date.....................

Authorized Signatory..............................

(Official Seal of Firm/Company)

Name of the Authorised person.................

Designation...

Name of Firm/Company...................................

Raipur, the 27th January 2016

NOTIFICATION

No. F. 4-12/56/2014/E&IT.— In exercise of the powers conferred by sub clause (2) of clause 12 of the Electronics, IT & ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019, (herein after referred as the "Policy"), the State Government, makes the following operational guidelines for Single Window Clearance system, approvals and Incentives/Benefits to the eligible Electronics, IT & ITeS industry/companies namely :-

1. **Definitions.-** (1) In these guidelines, unless the context requires otherwise: The definitions would be the same, as given in policy, in addition to it following terms have been defined.

   a) **"In-Principle Approval"** means, the concerned authority has agreed to the proposal without getting into the details of other required statutory/legal compliances. However by no means In-principle approval can be considered as final approval and so they are subject to proper verification as per the rules of law.

   b) **"IT/ITeS"** related industry means and includes Information Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITES), IT based software development, IT services and IT Enabled Services or Web enabled services or remote services Data Centre /GIS based services /ERP(Enterprise Resource Planning)/Knowledge Management & Archiving/ BPO/ Medical Transcription / Knowledge Process Outsourcing / Legal Process Outsourcing, SMAC (Social, Mobile, Analytics and Cloud) & Animation, Gaming/ Visual Effects/Digital Entertainment and IT Engineering Services Companies/ Tele-working as Electronic Publishing.

   c) **"IT Professional"** means professional involved in the development, implementation, and maintenance of computer hardware and software systems and IT enabled services.

   d) **"IT Hardware"** includes computers (tablets, desktops etc.), servers, peripherals like printers, faxes, storage devices, monitor etc. and as defined by Electronics & Information Technology Department of Government of India.

   e) **"IT Infrastructure"** means and includes development of IT Parks & IT Special Economic Zone according to the provisions of Special Economic Zones Act, 2005 of Government of India.

   f) **"IT Infrastructure Developers"** means Developers having experience of IT infrastructure development of more than 3 lakh sq. feet built-up area in past 5 years or investment of more than 100 crores within 3 years.

   g) **"MSME Units"** means such units as classified into Micro, Small and Medium units as per the guidelines issued by Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Ministry, Government of India from time to time will be considered as MSME units.

The above definitions are generic in nature and Department of Electronics and IT is empowered to add/modify/alter or interpret the definition of any vertical, as is appropriate and needed.

2. **Effective period.-**

   The notification shall remain effective during the policy period from 1st November 2014 to 31st October 2019.

3. **Eligibility criteria.-**

3.1. The units/enterprises shall be eligible under the said Policy on the following conditions:-

3.1.1. If the enterprise is one among Units/Enterprises as defined in the clause 1 of the operational guidelines.

3.1.2. Investment made for establishment of unit in Chhattisgarh during the policy period.

3.1.3. Commencement of production/Operation of unit is within the Policy Period.

4. **General Conditions-**

4.1. The units/enterprises must fulfil the following criteria to avail the benefits under the policy:-

4.1.1. In- Principle Approval from State level Single Window Clearance Committee

4.1.2. Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs & Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) Part A/Part B for Large Industries.

4.2. The units must ensure start of production/operations within 2 years from the date of allotment of land.

4.3. The units should ensure continuous production/operation for a minimum period of 3 years from the date of start of commercial production.

4.4. Investor will submit report on progress of project/investment as below:

4.4.1. Quarterly report before Commencement of Production.

4.4.2. Annual report after Commencement of Production.

5. **Incentives/Subsidy/Exemptions proposed under the said policy-**

Category	Incentives/Subsidy/Exemption
Standard	➢ Fixed Capital Investment Subsidy ➢ Interest Subsidy ➢ Rebate on Land Premium (applicable in IT Notified areas only) ➢ Rebate on Lease/Rental Space ➢ Exemption on Stamp Duty ➢ Exemption on CST and Entry Tax ➢ Exemption on Electricity Duty ➢ Incentive for Project Report ➢ Assistance for Recruitment & Training of IT Professional ➢ Grant on Employee Provident Fund Contribution of Employees of Unit/Enterprise ➢ Exemption of VAT
Additional Incentives	
For Local Employment & Early Investment	➢ Units established in the state, having more than 50% employees belonging to domicile of Chhattisgarh, will be entitled for additional incentive of 5% over and above for Fixed Capital investment & Interest Subsidy besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive. ➢ Units starting commercial production on or before 31-03-2016 will be entitled

	for additional incentive of 5% over and above for Fixed Capital investment & Interest Subsidy besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive.
For Micro, Small and Medium Enterprises	➢ Incentive for Quality Certification ➢ Incentive for Technical Patent ➢ Subsidy on Bandwidth Charges
For Large Investors	➢ Entrepreneurs, with an investment more than 100 Crores during policy period, may be considered for additional incentives over and above the incentives as given in policy as a special package on case to case basis. ➢ IT infrastructure developers, having experience of IT infrastructure development on more than 3 lakh sq. feet area in past 5 years, with an investment more than 100 crores, may be considered for additional incentives over and above the incentives as given in policy on case to case basis.

6. **Operational/Implementation Guidelines for obtaining In-Principle Approval through Single Window Investment Clearance System.**

6.1. Single Window Clearance System will facilitate the investors in processing of Investment Proposals, obtaining In-Principle approvals, timely sanction and release of benefits under Policy and any other sanctions required for establishment of unit/enterprise.

6.2. CHiPS, the Nodal Agency, will develop a Single Window Investment Portal (SWIP) under the Single Window Clearance System. The SWIP will be a platform for receiving proposals/application from the investors and providing information regarding approval of various processes for establishment of units, incentives/subsidies/exemptions etc. under the policy. All Concerned Departments/Agencies will be connected with this portal, so that the application for investment can be received and all approvals/acceptances/rejection letters given by the concerned Departments/Agencies can be made available to the investors through this portal. The investors can also get assistance in resolving their problems through this portal.

6.3. Concerned Departments/Agencies shall appoint Nodal Officer for clearance of investment proposals under this policy.

6.4. A Common Application Form (CAF) (Annexure A) is being prescribed for receiving proposals for investment. The investor can submit the investment proposal through the Single Window Investment Portal.

6.5. Every Investment proposal will be provided with a Unique ID (IUID) on registration in the Single Window Investment Portal. The investor can communicate with the Department/CHiPS with the help of this ID and can also ascertain the status of its proposal.

6.6. The investor shall submit investment application form duly signed along with online payment of requisite processing fees, as prescribed below for each investment proposal:-

No.	Project Cost	Amount of Processing Fees
1	Upto Rs.5 Cr	Rs.10, 000/-
2	Above Rs.5 Cr and upto Rs.25 Cr	Rs. 50,000/-
3	Above Rs.25 Cr and upto Rs.100 Cr	Rs.3,00,000/-
4	Above Rs.100 Cr and upto Rs 500 Cr	Rs.5,00,000/-

5	Above Rs 500 Cr and upto 1000 Cr	Rs. 15,00,000/-
6	Above Rs 1000 Cr	Rs. 25,00,000/-

6.7. The Nodal Officer of single window shall forward the investment proposal to the CEO, CHiPS along with comments. CEO, CHiPS shall either forward the proposal to the other concerned departments for their opinion or can seek for additional information from the investors. Accordingly the nodal officer shall forward the investment proposal to the concerned Department through Single Window Investment Portal.

6.8. Competent authority of department will scrutinize the application and submit their views/opinions along with consent/non consent with duly specified reasons, if any.

6.9. The Nodal Officer of single window shall prepare a detailed report regarding investment proposal on the basis of opinions received from other departments and shall submit to the CEO, CHiPS within the prescribed time limit.

6.10. The CEO, CHiPS shall organize meeting of the Empowered Committee/State Level Single Window Clearance Committee. The Committee will accord In-Principle approvals to the investment proposal.

6.11. The decision of above committee will be final and binding on all departments. The Joint Secretary/Deputy Secretary, Department of Electronics & IT will issue order regarding In-Principle approval of investment proposals.

6.12. The Committee will recommend additional incentives/concessions as requested for large investments with more than Rs.100 crores, if requested by the Investor. Department of Electronics & IT will place the proposal before State Council of Ministers for its approval.

6.13. The investor shall apply for approval & release of incentives/subsidies/ exemptions under the said policy in the prescribed format through Single Window Investment Portal along with the required information after obtaining In-Principle approval. The Nodal Officer of the investment proposal & concerned departments shall regularly review the entire process for timely release of incentives to investor. The entire communication between investor and nodal officer will be carried out through Single Window Investment Portal.

6.14. The CEO, CHiPS will prepare a quarterly/annual status report on the in-principle approvals and release of incentives under the policy and present the same before the Empowered Committee/ SLSWCC. The Empowered Committee/SLSWCC will issue necessary instructions for smooth functioning of the Single Window Clearance System from time-to-time.

6.15. The Time limit as mentioned in below table for different process involved in obtaining In-principle Approval through Single Window Clearance System under the Policy is to be strictly adhered and the same will be reviewed regularly by the Principal Secretary/Secretary, Department of Electronics and Information Technology.

6.16. After getting an In-principle approval investor can apply for final allotment of land, other approval/No Objection Certificate/Licenses and incentive under the policy in prescribed format through Single Window Investment Portal as and when required.

7. **Operational/Implementation Guidelines and Procedure for claiming incentives/other benefits under Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19.**

<table>
<tr><th>S.No</th><th>Name of Incentive/ Benefit</th><th>Details of Incentive/Benefit</th><th>Eligibility/Conditions/Exceptions</th><th>Operational Guidelines</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>Land Allotment</td><td>Land in the following Areas:-

Notified IT Area:-

Units established within notified IT Areas in the state will be eligible for rebate upto 80% of the land premium.</td><td>i) Land allotment for establishment of units/Enterprises as defined in the clause 1 above.

ii) Land for such units may be allocated based on project investment per unit as given in below table:-

<table>
<tr><th>#</th><th>Investment Amount /Unit (Rs.in Crores)</th><th>Available land area</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1 to 3</td><td>Maximum 1 acres as per requirement</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3 to 5</td><td>Maximum 2 acres as per requirement</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5 to 10</td><td>Maximum 3 acres as per requirement</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10 to 20</td><td>Maximum 5 acres as per requirement</td></tr>
<tr><td>5</td><td>20 to 50</td><td>Maximum 10 acres as per requirement</td></tr>
<tr><td>6</td><td>50 to 100</td><td>Maximum 20 acres as per requirement</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Above 100</td><td>To be decided on case to case basis</td></tr>
</table>

iii)The unit eligible under this scheme shall ensure commencement of production/ operations within 2 years from the date of allotment of land.

iv) The units must ensure continuous operation for a minimum period of 3 years from the date of start of commercial</td><td>1.On receipt of an In-principle approval through the process as detailed above (in the clause no. 6), the applicant has to apply to the CHiPS through Single Window Portal for final allotment of land in the prescribed format along with following information:-

2.Consent for allotment of land /In-principle sanction letter, Proof of payment regarding Land Premium.

3.To avail rebate on Land Premium in IT Notified areas refer point (7.2) and no rebate on land premium is allowed outside the IT Notified areas.

4.CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the land requirement and may obtain any other information as is required.

5.CHiPS will forward the application to the Land allotment authority along with its recommendation and sanction letter for the rebate on land premium.

6.Land allotment authority will issue Sanction letter on land allotment to the eligible unit/enterprise.

7.Land diversion, if necessary, is to be obtained as per rules for non-notified areas.</td></tr>
</table>

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
			production. v) A minimum 60% of the total allotted land must be reserved for IT operations and the remaining 40% area may be used for other purposes e.g. establishment of ancillary, subsidiary and support services.	
7.2	Rebate on land Premium	Units established within notified IT Areas in the state will be eligible for rebate of 80% the land premium	1. Only the units established within IT notified areas in the state of Chhattisgarh are eligible for "Rebate on land Premium". 2. The unit eligible under this scheme shall ensure commencement of production/operations within 2 years from the date of allotment of land. 3. The units must ensure continuous operation for a minimum period of 3 years from the date of commencement of production.	1. The applicant will make the payment of 20% amount of Land Premium through online transfer to CHiPS along with following information:- Consent for allotment of land, Proof of payment for 20% of Land Cost 2. The approved rebate on Land Premium i.e the remaining amount of Land Premium will be transferred by CHiPS/Nodal Agency to the bank account of the land allotment authority by CHiPS.
7.3	**Exemption on Stamp Duty**	100% stamp duty exemption i) Payment of Stamp Duty on direct purchase/lease on allotted land. ii) First Sale/Lease of Property to another IT unit during policy period. (The above exemption	1. The unit eligible under this scheme will ensure start of commercial production / operations within 2 years from the date of availing exemption on stamp duty.	1.The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed for the investment along with following information:- Details of the subject land to be purchase/Leased. 2. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 3. CHiPS will forward the application to the Department of Commercial Taxes along with its recommendations.

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		will not be applicable for next sale/lease.)		4. Sanction letter for the stamp duty exemption will be issued by the Department of Commercial taxes.
7.4	**Rebate on Lease/Rental Space**	Reimbursement up to 50% of lease or rental charges for the space; Maximum limit of Rs.10 lakhs for a period of 3 years from the date of start of commercial production.	1. The 3 years period, Rebate on lease/rental shall be considered from the date of commencement of Production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part B for large Industries. 2. The unit/enterprise which has already claimed for Land premium subsidy are not eligible for Rebate on Lease/Rental Space.	1. Application for the subsidy for the financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year. 2. The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- Registered Lease Deed/Rental Agreement, payment vouchers of Lease /rental amount with supporting bank statements with transaction. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 4. A Team/ designated Officer appointed by CHiPS will submit a physical verification report regarding Lease/Rental space. 5. A Letter of Sanction/ rejection will be issued by CHiPS. 6. The amount of subsidy will be transferred to the registered bank account of beneficiary.
7.5	**Exemption on CST and Entry Tax**	100% exemption on CST and Entry Tax for a period of 10 years from the date of commencem	1. The 10 years period for this purpose shall be considered from the date of commencement of Production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part	1. The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format for the exemption along with following information:- List of all raw materials/products for which exemption will be claimed

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		ent of production or up to introduction of GST in the state whichever is earlier	B for large Industries.	2. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 3. CHiPS will forward the application to the Commercial Tax Department along with its recommendation. 4. Sanction letter for the CST and Entry Tax exemption will be issued by the commercial tax department.
7.6	**Exemption on Electricity Duty**	100% exemption from payment of electricity duty on self-consumption up to 12 years from the date of commencement of commercial production	1. The 12 years period for this purpose shall be considered from the date of commencement of Production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part B for large Industries. 2. The Electricity Duty Exemption will only be provided for the Electricity used for self-consumption.	1. The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format for the investment along with following information:- 2. Electricity bill & Copy of Agreement with CSPDCL. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and obtained any other information as required. 4. CHiPS will forward the application to the Chief Electrical Inspector along with its recommendation. 5. Sanction letter for the Electricity Duty exemption will be issued by the Chief Electrical Inspector.
7.7	**Incentive for Fixed Capital Investment**	50% of the fixed capital investment excluding the cost of the land; maximum limit of Rs.	1. Applications for such claims can only be made within 3 months of the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part	1. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- Approved Detailed Project Report, Udyog Aadhar Memorandum or any other

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		150 lakhs per unit; **Additional Incentive:-** 1. Units established in the state, having more than 50% employees belonging to domicile of Chhattisgarh, will be entitled for additional incentive of 5% mentioned besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive 2. Units starting commercial production before 31-03-2016 will be entitled for additional incentive of 5% mentioned besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive.	B for large Industries. 2. The units must ensure continuous operation for a minimum period of 3 years from the date of commencement of production.	relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM Part B for large Industries, Total Capital expenditure for the Project, Bank Loan details (if any), Latest Audited Financial Statements of the firm/company, CA certified expenditure statement of the total Fixed Capital Investment, Component wise valuation certificate issued be Chartered Engineer (Civil/Mechanical) for the civil works /Plant & Machinery/Equipment respectively, Copies of Bills/invoices, Details of employees along with proof of domicile (only for claiming additional incentives). 2. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 3. A Team/ designated Officer appointed by CHiPS submit a physical verification report regarding investment & production/ operations. 4. A letter of Sanction/rejection will be issued based on the above facts. 5. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary.

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
7.8	**Interest Subsidy**	Reimbursement of 75% of the total interest paid annually on working capital; Maximum limit of Rs.110 lakhs per annum for a period of 8 years from the date of start of commercial production; **Additional Incentive:-** 1. Units established in the state, having more than 50% employees belonging to domicile of Chhattisgarh will be entitled for additional incentive of 5% mentioned besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive. 2. Units starting commercial	1. Interest accrued only on Working Capital Loan availed from a Financial Institution/Bank recognised by RBI shall only be considered for this purpose. 2. The 8 years period for this purpose shall be considered from the date of commencement of Production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part B for large Industries. 3. The enterprises/units shall ensure regular repayment of instalments and interest due to them on working capital loan from the Financing Institution/Bank, Units/enterprises that are declared defaulter shall not be considered.	1. Application for the interest subsidy for the financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year. 2. The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information. Copy of Sanction Letter for working capital loan sanctioned by financial institution/ Bank, Certificate from Bank/Financial Institution on monthly interest charges, Details of employees along with proof domicile (only for claiming additional incentives). 3. CHiPS will scrutinize the applications and physical inspection of unit/enterprise regarding the veracity of the facts concerned to the claims and with the help of the concerned F.I./Bank. 4. On the basis of the physical inspection report, letter of Sanction/rejection will be shall be issued based on the above facts. 5. The amount of subsidy will be transferred to the loan account of the unit/enterprise of the concerned Financial Institution/ Bank.

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		production before 31-03-2016 will be entitled for additional incentive of 5% mentioned besides an increase of 5% in the maximum limit for the above said incentive.		
7.9	**Incentive for Project Report**	Reimbursement on expenditure for preparation of "Project Report" prepared by national / internationally renowned financial institutions or project consultant up to actual expenditure or 1% of fixed capital investment with a maximum limit of Rs.4 lakh.	1. All units/enterprises that have started commercial production during effective period of policy. 2. The date of commencement of production will be considered the date mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part B for large Industries.	1. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- Copy of Approved Project Report, Copy all bills and payment for preparation of Project Report. 2. CHiPS shall scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and obtain any other information as required. 3. A letter of Sanction/rejection will be issued based on the above facts. 4. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary.
7.10	**Assistance for Recruitment & Training**	One time assistance for Recruitment & Training of Rs 20,000 per IT professional on	1. The 3 years period for this purpose shall be considered from the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part	1. Application for the Assistance for Recruitment & Training for a financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year. 2. The eligible unit/enterprise under the

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		recruitment; Maximum limit of Rs.10 lakhs per year during first three years from the date of start of commercial production.	B for large Industries. 2. The recruitment & training assistance will only be given to IT professional as defined in clause 1 (c) above. 3. The administrative personnel of the unit will not be considered as 'IT Professional'. 4. IT Professional with at least 6 months of work experience in the applicant unit/enterprise will be considered eligible for the claim.	scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- List of IT professional recruited & trained with details of training as per the prescribed format, PF Slip issued by EPFO of all the IT Professionals listed above for the mentioned claim period, Training certificates and Appointment letter of all the IT Professionals listed above. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and obtain any other information as is required. 4. A letter of Sanction/rejection will be issued based on the above facts. 5. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary.
7.11	**Grant on EPF for employment generation**	Reimbursed of EPF amount paid for IT/ ITeS professionals to a max of Rs 10.00 lakhs per annum upto 7 years @ (i) 75% of total EPF in case of male; (ii) 100% of total EPF	1. The period for this purpose shall be considered from the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part B for large Industries. 2. The Grant on EPF for employment generation will only be given to IT/ITeS professional as defined in clause 1 (f) above. 3. All the administrative personnel of the unit are not to be considered as 'IT Professional'.	1. Application for the Grant on EPF for employment generation for the financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year. 2. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- List of IT professional working in the unit in the prescribed format, PF Slip issued by EPFO of all the IT

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		in case of female;	4. IT Professional with at least 6 months of work experience in the applicant unit/enterprise will be considered eligible for the claim.	Professionals listed above for the mentioned claim period. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and obtain any other information as required. 4. A letter of Sanction/r will be issued based on the abov 5. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary
7.12	Exemption on VAT	Units established in the state will be entitled to 100% Exemption of VAT paid to the Government on sale of Products within state, manufactured within the unit for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production or up to introduction of GST in the state whichever is earlier.	1. The 5 years period for this purpose shall be considered from the date of commencement of production. 2. Cumulative value of such exemptions will be subject to a maximum limit equivalent to Fixed capital investment of the unit till the date of commencement of production 3. The date of commencement of production will be considered as the date mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs and IEM part B for large Industries.	1. The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format, after getting the In-Principle approval by SLSWCC for the exemption along with list of all products for which exemption of VAT will be claimed and any other relevant documents as approved by SLSWCC. 2. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 3. CHiPS will forward the application to the Commercial Tax Department along with its recommendation. 4. Sanction letter for the VAT exemption will be issued by the commercial tax department.
7.13	**Incentive for Quality Certification**	Reimbursement of 50% expenditure on ISO–9000, ISO-14000 or	1. Only Micro, Small and Medium units as defined in clause 1 (g) above and established in Chhattisgarh will be eligible for availing benefit after the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar	1. Application for the quality certification incentive for the financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
		other similar national/international certification; Maximum limit of Rs. 7 lakhs for Maximum of 2 quality certificates per unit per annum.	Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. 2. The 7 year period shall be considered as per the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt.	2. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- Copies of valid Quality certificates, Copy of all bills and payment for obtaining QCs. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 4. A letter of Sanction/rejection will be issued based on the above facts is to be issued by CHiPS 5. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary
7.14	**Incentive for Technical Patent**	Reimbursement of 50% expenditure on technical patents on the name of unit; Maximum limit of Rs. 10 lakhs for maximum of 2 technical patents per unit per annum.	1. Only Micro, Small and Medium units as defined in clause 1 (g) above and established in Chhattisgarh will be eligible for availing benefit after the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt.	1. Application for the technical patent incentive for a financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year. 2. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information:- Copies of Technical Patents filed with Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM), Copy of all bills and payments made for obtaining Technical Patents. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
				any other information as required. 4. A letter of Sanction/ rejection based on the above facts is to be issued by CHiPS. 5. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary
7.15	**Subsidy on Bandwidth Charges Subsidy on Bandwidth Charges**	Reimbursement of 30% of the total charges paid towards availing internet bandwidth from ISP; Maximum limit of Rs. 3 lakh per annum up to 3 years.	1. Only Micro, Small and Medium units as defined in clause 1 (j) above and established in Chhattisgarh will be eligible for availing benefit after the date of commencement of production for a period up to 3 years. 2. The 3 year period shall be considered as per the date of commencement of production as mentioned in Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. 3. The Internet Bandwidth from ISP used for internal consumption shall be considered for this purpose. 4. The Internet Bandwidth from ISP used for leasing/sub leasing/ renting shall not be considered for this purpose.	1. Application for subsidy on bandwidth charges for a financial year can only be made during 1st April to 30th June of immediately following year. 2. The eligible unit/ enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information. Report on total bandwidth used by the unit/enterprise along with the IP number, Copy of all bills and payments made towards bandwidth charges. 3. CHiPS will scrutinize the applications regarding the veracity of the facts concerned to the claims and may obtain any other information as required. 4. A letter of Sanction/ rejection based on the above facts is to be issued by CHiPS. 5. On sanction, the eligible amount will be transferred to the registered bank account of beneficiary
7.16	**Other Approvals/ Sanctions**			1. The Single window Investment Portal will also facilitate in obtaining any other Approvals/ No Objection Certificate/ registrations/Licenses for

S.No	Name of Incentive/ Benefit	Details of Incentive/Benefit	Eligibility/Conditions/Exceptions	Operational Guidelines
				establishment of units/ Enterprises as defined in the clause (2).

8. Process, release and monitoring of incentives are, if need be, subject to verification of authenticity of information furnished on turnover, investment, employment and continuity in operation of business, from the statutory agencies, such as CHiPS/Director of Industries or any other appropriate/concerned statutory agency of State Government.
9. The operational guideline issued for administration of incentives available under the Policy to the eligible IT Industry/Companies as mentioned above shall be in force and co-terminus with the validity period of the IT Policy 2014-19.

10. **Recovery.-**

10.1. If at any stage it is noticed/found, that any beneficiary has availed any incentives / subsidies / exemption / reimbursement /assistance/rebate under the Policy by adopting fraudulent practices or by wrong declaration then:-

10.1.1. The sanctions made to unit/enterprise under this policy shall stand cancelled with immediate effect.

10.1.2. Such payment received by the unit/enterprise under the head Rebate / Incentive / Subsidy / Reimbursement / Assistance / Exemption or other along with interest @ 2% per month shall be recovered as arrear of Land Revenue from the date of receipt of such Rebate / Incentive / Subsidy / Reimbursement / Assistance or other.

10.2. The Unit / Enterprise as stated in the above point shall stand ineligible for any further Assistance / Incentive / Subsidy / Exemption / Reimbursement under the policy.

11. **Appeal**

The investor can appeal against any order/decision issued by the CHiPS for the policy regarding investment under that policy within 15 days of the issuance of said order to the Principal Secretary/Secretary Dept. of Electronics and Information Technology. The investor will get an opportunity to be heard before taking any decision by Principal Secretary/Secretary Dept. of electronics & IT. The decision taken by Principal Secretary/Secretary will be final and binding.

12. **Time limit for In-principle Approval for investment proposals as part of Single Window Clearance System**

S. No.	Work	Responsibility	Time Limit (Task Wise)	Cumulative Time limit
12.1	Investor registration in Single Window Investment Portal (SWIP)	Investor	1 day	1st day
12.2	Submission before the CEO, CHiPS on receipt of investment proposal in SWIP after scrutiny	Nodal Officer	3 days	4th day
12.3	The decision by CEO, CHiPS regarding forwarding the proposal to the concerned department for decision.	CEO, CHiPS	2 days	6th day
12.4	Forwarding the application to the concerned departments on acceptance of CEO, CHiPS.	Nodal Officer	2 days	8th day
12.5	Opinion from the concerned department	Nodal Officer, Concerned Dept.	7 days	15th day

12.6	Submission of consolidated investment report on receipt of opinion from the concerned departments before the CEO, CHiPS	Nodal Officer	3 days	18th day
12.7	Proposal for organizing the meeting of the state level Single Window Clearance Committee	CEO, CHiPS	15 days	33rd day
12.8	Issue Sanction Letter to the investor regarding In principle approval for investment proposed.	CEO, CHiPS	3 days	36th day

13. **The entrepreneur has to apply in prescribed format through single window portal for getting approvals/sanctions as mentioned below table:-**

#	Particulars	When to Apply	Competent Authority/Dept.	Time limit
13.1	In-Principle Approval	After getting Investor Unique ID (IUID)	Electronics & IT Dept./CHiPS	30 days
13.2	**Approvals/Clearances**			
13.2.1	Udyog Aadhar Memorandum or any other relevant registration certificate issued by the State Govt. for MSMEs/IEM part B for large Industries	After Commencement of Production/ Operation	Ministry of MSME, Government of India or any other Dept. of State Govt./ Department of Industrial Policy & Promotion(DIPP), Government of India	5 days
13.2.2	Allotment of Land	Within 30 days of obtaining In-Principle Approval	NRDA/DIC/Revenue Department	30 days
13.2.3	Plan Layout Approval	After getting LOA of Land	NRDA/Department of Town & Country Planning/Competent Authority	30 days
13.2.4	Building Approval	After getting Plan Layout Approval	NRDA/Municipal /Local Authority	30 days
13.2.5	Consent to Establish (CTE)	Before commencement of Operation/Production	CHiPS/ Competent Authority	60 days
13.2.6	Consent to Operate (CTO)	Before commencement of Operation/Production	CHiPS/ Competent Authority	60 days
13.2.7	NOC for Fire	Before commencement of Operation/Production	Municipal/Local Authority	7 days
13.2.8	Registration under Commercial Tax	Before commencement of Operation/Production	Commercial Tax Department	2 days
13.2.9	Registration under Labour Act	Before commencement of Operation/Production	District Labor Officer (D.L.O)	15 days
13.2.10	Electricity Connection	Before commencement of Operation/Production	Concerned Officer CSPDCL	7 days

13.2.11	Water Connection	Before commencement of Operation/Production	WRD/Municipal Authority	30 days
13.3	**Incentive & Subsidies**			
13.3.1	Rebate on Land Premium	Within 30 days of obtaining In-principle Approval		20 days
13.3.2	Exemption on Stamp Duty	Within 30 days of obtaining In-Principle Approval		30 days
13.3.3	Rebate on Lease/Rental Space	Between 1st April to 30th June of every year after Commencement of Production/Operation		15 days
13.3.4	Exemption on Electricity Duty	Within 3 months after Commencement of Production/Operation		30 days
13.3.5	Exemption on CST and Entry Tax			30 days
13.3.6	Incentive for FCI			90 days
13.3.7	Interest Subsidy	Between 1st April to 30th June after Commencement of Production/Operation		45 days
13.3.8	Incentive for Project Report	Within 3 months Commencement of Production/Operation		15 days
13.3.9	Assistance for Recruitment & Training	Between 1st April to 30th June of every year Commencement of Production/Operation		15 days
13.3.10	Grant on EPF employment Gen.			15 days
13.3.11	Incentive for Quality Certificate	Between 1st April to 30th June of every year Commencement of Production/Operation		15 days
13.3.12	Incentive for Technical Patent			15 days
13.3.13	Subsidy on Bandwidth Charges			15 days

14. **The Time limits mentioned in Clause No. 12 & 13 above shall only be applicable for the Investment proposals/applications received by Nodal agency complete in all respect.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SAURABH KUMAR, Deputy Secretary.

Annexure A

Common Application Form for Investment under Electronics, IT, ITeS Investment Policy

Part A (Personal Details):						
1.	Unique ID					
2.	Name of the Company / Unit					
	Correspondence Address					
	Pin Code			Telephone No.		
	Fax No			Email		
	Mobile					
2.1	Name of the M.D/Managing Partner/CEO / Lead Promoter/ Proprietor					
	Telephone No.			Fax No		
	Email			Mobile		
	Category	SC ST Women Ex-Serviceman Physically Challenged Other				
2.2	Name of Authorized Coordinator/Person					
	Telephone No.			Fax No		
	Email			Mobile		
3.	Processing Fees					
	Amount					
	Date					
	Transaction /Receipt ID					
4	Nature of your Organization	Proprietary		Partnership		Private Limited
		Public Limited		Co-Operative		Others
5	Financial Indicators of the Company / Firm for Last 3 Years in Rs. Crores (if any)					

Year	Turn Over	Profit before Tax	Net Worth	Reserves & Surplus	Share Capital

6	Brief Description (Activities of the Company):-	

	Part B (Investment Details):			
7	**Category of the proposed project**			
7.1	**(Manufacturing Units):**			
7.1.1	Investment in Plant & Machinery	< 25 lakhs	Micro	
		More than 25 Lakhs < 5 Crore	Small	
		More than 5 Crore < 10 Crore	Medium	
		More than 10 Crore	Large	
7.1.2	Products to be Manufactured	1. 2. 3.		
7.2	**(Services Units):**			
7.2.1	Investment in Equipment	< 10 lakhs	Micro	
		More than 10 Lakhs <2 Crore	Small	
		More than 2 Crore <5 Crore	Medium	
		More than 5 Crore	Large	
7.2.2	Name of Services	1. 2. 3.		
	Note:- Please use either 7.1 or 7.2			

8	Investment		(Rs. in Crores)
	(A) Land		
	(B) Building		
	(C) Plant & Machinery/Equipment		
	(D) Working Capital Margin		
	(E) Other		
	Total (A+B+C+D+E)		
9	Borrowed Working Capital		
10	Means of Finance		(Rs. in Crores)
	(A) Promoter's Equity		
	(B) Foreign Equity		
	(C) Institutions Equity		
	(D) Bank Funding	Term Loan	
		Working Capital	
	(E) Others		
	(F) Seed Capital/Risk Capital		
	(G) Subsidy/Grants		
	Total (A+B+C+D+E+F+G)		
11	Employment		No of employees
	(A) Skilled		
	(B) Unskilled		
	(C) Supervisory		

	(D) Engineer	
	(E) IT/ITeS Professional	
	(F) Management	
	Total (A+B+C+D+E+F)	
12	Duration of Investment	
13	Expected date of commencement of commercial production (MM/YY):	

	Part C (Requirements):							
14	Proposed details of Land/Space:							
		IT Notified Land		CSIDC Land		DI Land		Rented Space
		Own Land/Space		Other				

	Details of Land	Details of Leased/Rented Space
	a) Land in Hectares:________________ b) Details of Plot: ________________ c) Location: ________________	a) Area in Sq. Meters: ________________ b) Details of Space:________________ c) Location: ________________

15	Mode of acquisition of Land		
	Land Agency	Mode of Acquisition	Extent (in Hectares)

16	Water Requirement:-
	i) Water requirement for project ________________(MCM/Year) ii) Source of Water: ________________
17	Power Requirement:
	(i) HT/LT Connection:________________ (ii) Required load: ________________ in KW/HP/MVA (iii) Date of Power Requirement: ____________

18. DECLARATION

I, Shri/Smt ……………………………………S/o/W/o Shri..

Aged............Residence at...

(Designation)...of M/s.. having Regd. office at..

hereby declare that the information furnished by me/us to CH*i*PS, Govt. of Chhattisgarh, by our firm/company in this Application Form for CH*i*PS are true to the best of my knowledge, belief and is based on the company/firm records. I/We indemnify the above agencies or any other agency under the jurisdiction of Govt. of Chhattisgarh

from liabilities of any nature that may arise due to the decision taken based on the information contained in this application form which may be inadequate, inaccurate, erroneous etc. and the management of my firm/company assumes complete responsibility in this regard.

Further, our firm/company undertakes to provide any additional information or clarification as required by CHiPS, Govt. of Chhattisgarh or its agencies during and after processing of our application.

I/We undertake to pay the fees/charges payable to CHiPS, Govt. of Chhattisgarh and its agencies as prescribed under the policy for according approval and charges fixed for water, energy, etc. and other charges fixed by the Govt. of Chhattisgarh from time to time.

I/We understand that this approval through CHiPS is to assist our firm/company in getting statutory clearances expeditiously. I/We indemnify CHiPS, Govt. of Chhattisgarh and its agencies from any liabilities whatsoever.

Place...............

Date....................

Authorized Signatory..............................
(Official Seal of Firm/Company)
Name of the Authorised person.................
Designation...
Name of Firm/Company..................................

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.